5. शिक्षक द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध मे दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर नियुक्ति अस्थायी रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नही है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनहर्ता/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

6. नव नियुक्त शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारी/ प्रमाण पत्र यदि गलत पाये जाते है तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

7. नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण , वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

8. नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना सूचना दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या सूचना अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन का भुगतान करना होगा।

9. शिक्षक सीधी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ।

10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

11. शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नही होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

13. शिक्षक पद पर नियुक्ति माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रं. **wps** 1081/2020, **wps** 3005/2020, **wps** 29/2021,**wps 4034/2021**, एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अध्याधीन होंगी।

14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा से त्यागपत्र/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था मे कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(आर.एस.चौहान)
संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

Scanned by TapScanner

पृ.क. / स्था.3 / **व्यायाम शिक्षक** / **टी संवर्ग** / **346** / 2021 / बिलासपुर दिनांक—**24/08/2021**

<u>प्रतिलिपि—</u>

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, विद्यानसभा रोड, जीरो पाइंट छत्तीसगढ़,रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर , नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
7. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
8. समस्त कलेक्टर बिलासपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
9. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर / दुर्ग / बस्तर / सरगुजा को सूचनार्थ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त कोषालय / उप कोषालय अधिकारी, बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
12. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित प्राचार्य / प्रधान पाठक ***शा.उ.मा.वि. परासी*** वि.खं ***मरवाही*** जिला ***गौ.—पे.—म.*** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री— ***PRAMOD KUMAR DHIWAR, FATHER- DEENA RAM DHIWAR*** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. कार्यालय गार्ड फाईल हेतु।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

Scanned by TapScanner

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ

TARBHAR.email:-bsp.jd18@gmail.com. phone No.07752-493695.
www.jdeducationbsp.webs.com

आदेश

क्र./स्था.3/**व्यायाम शिक्षक/टी संवर्ग/345**/2021/ बिलासपुर दिनांक-**24/08/2021**

छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं 1103/2019/20-दो नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के द्वारा शिक्षकों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन- प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर क्र./स्था.02/सीधी भर्ती/65/2020//355/ नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत **व्यायाम शिक्षक,टी संवर्ग** के पद पर सातवें वेतनमान 9300-34800 वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:-

रैंक/रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग	
1	2	3	4	5	6	7
271/ 13091130	**PRAMOD KUMAR DHIWAR,** ***FATHER -DEENA RAM DHIWAR***	**HOUSE NO- 56 STREET- DHIWAR MOHALLA CITY- GRIJALVA NAWAGOAN POST OFFICE- RATANPUR DIST-Bilaspur STATE- CHHATTISGARH PINCODE-495442**	**OBC**	यू डाईस - 22071404210 शाला का नाम- शा.उ.मा.वि. परासी विकासखंड- मरवाही, जिला- गौ.-पे.-म.	**OBC**	

उपरोक्त नियुक्ति निम्नाकिंत नियम एवं शर्तो के अधीन होगी:-

1. नियुक्त शिक्षक 10 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. नियुक्त शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्वातेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा-

   प्रथम वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
4. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त टी संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

Scanned by TapScanner